न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 001/2017 (GCMS 2017/00096)	दायर दिनांक 20.09.2017	निर्णय दिनांक 05.03.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बेंगूँ तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. सुनितादेवी पत्नि सत्यनारायण सोमानी निवासी बिछोर तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
2. हितेश पिता सत्यनारायण सोमानी निवासी बिछोर तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
3. अक्षय पिता सत्यनारायण सोमानी निवासी बिछोर तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::–

उपस्थिति :– श्री भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता
श्री सत्यनारायण ईनाणी — अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बिछोर पटवार हल्का बिछोर तहसील बेंगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 2236/1620 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि किस्म नाली दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा नाली का स्वरूप नष्ट कर भूमि को समतल कर वाहनों की पार्किंग एवं आवागमन के लिए उपयोग प्रारम्भ कर दिया है, जो नियमों के विरूद्ध है। नियमानुसार किस्म नाली भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। मामला राज्य हित का होने से कॉर्ट फीस से मुक्त है। परिपत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:09 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.07.2003 की पालना में जोहड, तालाब, नाडी, आदि की भूमि को नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। जिसकी पालना में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि किस्म नाली सहवन से खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। जिसे बिलानाम किये जाने हेतु प्रेषित है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमा ग्राम बिछोर कि आराजी संख्या 2236/1620 को बिलानाम सरकार किये जाने की कार्यवाही बाबत आदेश करावें। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का बिछोर एवं जमाबंदी संवत् 2072–75 मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत है।

प्रार्थी तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का बिछोर दिनांक 14.09.2017, नक्शा–ट्रेस मौजा बिछोर आराजी संख्या 2236/1620 दिनांक 13.09. 2017, नकल जमाबंदी मौजा बिछोर संवत् 2072–75 की खाता संख्या 486, नकल खसरा गिरदावरी मौजा बिछोर संवत् 2072 आराजी संख्या 2236/1620 रकबा 0.05 हैक्टर, नक्शा किश्तवार ग्राम भीचोर 1965–66, नकल जमाबंदी मौजा भीचोर संवत् 2028, पर्चा खतौनी मौजा भीचोर संवत् 2022, नकल जमाबंदी मौजा भीचोर तहसील जावद जिला मंदसौर संवत् 1993 एवं नक्षा किश्तवार मौजा भीचोर परगना जावद जिला मन्दसौर संवत् 1993 पेश किये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

प्रार्थी तहसीलदार बेंगूॅ के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.11.2017 को अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 14.06.2017 को अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया एवं बताया कि विवादित आराजीयात के स्वरूप नष्ट करने व भूमि का दुर्पयोग करने का तथ्य मिथ्या है। विवादित भूमि कदीम से याने आजादी के पूर्व से ही खातेदारी में अंकित है। यह मौजा पूर्व ग्वालियर राज्य का है जिसके रेकार्ड में भी खातेदार के नाम अंकित है। इस प्रकार कदीमी खातेदारी हक को रेफरेन्स द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। खातेदारी की भूमि को बिलानाम अंकित कराने का आवेदक को कोई अधिकार नहीं है। तथाकथित परिपत्र इस प्रकरण में लागु नहीं है। यह भूमि खातेदार को आवंटित नहीं हुई है अपितु कदीम से ग्वालियर राज्य के समय से ही खातेदारी में अंकित है। जिसे बिलानाम किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसके साथ ही यह भूमि आजादी से पूर्व ग्वालियर राज्य में थी जो कि रेकार्ड में उस समय के खातेदार प्यारसिंह पिता भारमल दरोगा के नाम अंकित है। कोई आवंटन अथवा नियमन नहीं है। ऐसी अवस्था में आवेदन चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 05.03.2021 को उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम बिछोर पटवार हल्का बिछोर तहसील बेंगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 2236/1620 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि किस्म नाली दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा नाली का स्वरूप नष्ट कर भूमि को समतल कर वाहनों की पार्किंग एवं आवागमन के लिए उपयोग प्रारम्भ कर दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है। नियमानुसार किस्म नाली भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विवादित आराजीयात के स्वरूप नष्ट करने व भूमि का दुर्पयोग करने का तथ्य मिथ्या है। विवादित भूमि कदीम से याने आजादी के पूर्व से ही खातेदारी में अंकित है। यह मौजा पूर्व ग्वालियर राज्य का है जिसके रेकार्ड में भी खातेदार के नाम अंकित है। इस प्रकार कदीमी खातेदारी हक को रेफरेन्स द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। खातेदारी की भूमि को बिलानाम अंकित कराने का आवेदक को कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि खातेदार को आवंटित नहीं हुई है अपितु कदीम से ग्वालियर राज्य के समय से ही खातेदारी में अंकित है। जिसे बिलानाम किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसके साथ ही यह भूमि आजादी से पूर्व ग्वालियर राज्य में थी जो कि रेकार्ड में उस समय के खातेदार प्यारसिंह पिता भारमल दरोगा के नाम अंकित है। कोई आवंटन अथवा नियमन नहीं है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि परिपत्र दिनांक 16.07.2003 की पालना में जोहड, तालाब, नाडी, आदि की भूमि को नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। जिसकी पालना में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि किस्म नाली सहवन से खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। जिसे बिलानाम किये जाने हेतु प्रेषित है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमा ग्राम बिछोर कि आराजी संख्या 2236/1620 को बिलानाम सरकार किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन/मनन/परिशीलन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम बिछोर पटवार हल्का बिछोर तहसील बेंगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 2236/1620 रकबा 0.05

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैक्टर भूमि किस्म नाली दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है एवं अप्रार्थीगण द्वारा नाली का स्वरूप नष्ट कर भूमि को समतल कर वाहनों की पार्किंग एवं आवागमन के लिए उपयोग प्रारम्भ कर दिया है, जो नियमों के विरूद्ध है, नियमानुसार किस्म नाली भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 का अवलोकन किया। अधिनियम की धाराओं में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board –

The Settlement Commissioner or the Director of Land Records 61[or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings; and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement; and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

232. Power to call for record and refer to the Board—

The Collector may call for and examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and, if he is of opinion that the order or decree passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fit:

Provided that the power conferred by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

विवादित आराजीयात आराजी संख्या 2236/1620 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म नाली अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है जिसकी ताईद मौजा बिछोर पटवार हल्का बिछोर नकल जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता संख्या 486 से होती है। मौजा भीचोर की जमाबंदी संवत् 2028 के अनुसार विवादित आराजीयात खातेदार पीयार सिंह पुत्र भारमल कौम दरोगा के नाम पर दर्ज अभिलिखित रही है। पर्चा खतौनी संवत् 2022 मौजा भीचोर तहसील बेंगूँ के अनुसार उक्त आराजी संख्या 1620 रकबा 7 बिस्वा किस्म गे.मु. नाली खातेदार पीयार सिंह वल्द भारमल दरोगा सा0देह के नाम पर दर्ज अभिलिखित रहीं है। उक्त पर्चा खतौनी के अनुसार उक्त आराजीयात के साबिक नंबर 1883 रहें है। नकल जमाबंदी संवत् 1993 मौजा भीचोर तहसील जावद जिला मन्दसौर अनुसार उक्त साबिक आराजी संख्या 1883 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म धामनीदो राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड रही है। ऐसी स्थिति में यह तथ्या प्रकट होता है कि उक्त विवादित आराजीयात संवत् 1993 में राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड रही है एवं उसके पश्चात् कालान्तर में यह खातेदारी से दर्ज अंकित की गई है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है कि उक्त विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम पर किसी प्रकार से दर्ज अभिलिखित की गई। इसके साथ ही जहॉ तक अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारी आराजीयात के भूमि के अकृषि प्रयोजन के संबंध में तथ्य है तो प्रार्थी अप्रार्थीगण खातेदार के खातेदारी अधिकारों के कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन के कारण से खातेदारी अधिकारों की समाप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से चाराजोही कर सकता है, इस तथ्य को रेफरेंस में देखा जाना उचित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात संवत् 1993 में राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित रही है, उसके पश्चात् कालान्तर में उक्त आराजीयात खातेदारी अधिकारों से दर्ज अभिलिखित की गई है। प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ द्वारा उक्त हस्तगत प्रकरण में संवत् 1993 का ही रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है उसके पश्चात् विवादित आराजीयात का अन्तरण किस प्रकार से हुआ है, यह ने प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित किया एवं ना ही इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। विवादित आराजीयात खातेदार पीयार सिंह पिता भारमल दरोगा के नाम पर किस प्रकार से दर्ज अभिलिखित की गई है, इस तथ्य का उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है एवं कालान्तर में उक्त आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित किस प्रकार से हुई है। इसका विवरण प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ द्वारा नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात किस प्रकार से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदारी में दर्ज अभिलिखित की गई है। ऐसी स्थिति प्रार्थी तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय/अधिकारियों द्वारा लिए गए विवादित निर्णयों/आदेशों की विधिकता, नियमितता एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए है, ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण पुनः तहसीलदार, बेंगूॅ को निम्नांकित निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है :-

- विवादित भूमि का संवत् 1993 के पश्चात् किस प्रकार से आवंटन/नियमन किया गया है एवं इस संबंध में संबंधित अभिलेख का परीक्षण कर यह निर्धारित करे कि प्रश्नगत आवंटन व नामान्तरकरण प्रक्रिया नियमानुकुल, वैध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?
- विवादित भूमि के जलोट या जलीय निकाय की होने की स्थिति की जांच आवंटन के समय के रेकार्ड एवं वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर किया जावें। समस्त दस्तावेजों, अभिलेख व तथ्यों के साथ आवश्यक हो तो, तहसीलदार बेंगूॅ 03 माह में नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिसमें अपेक्षित/संबंधित अभिलेख जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न हो एवं प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्यों को संयोजित करते हुए प्रार्थना पत्र बोलता हुआ **(SELF SPEAKING)** के रूप में हो प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बेंगूॅ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 10:25:09 IST
Reason: SelfAttested